ग्राम पंचायत सायरी, जिला सोलन के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।
अवधि 04/2014 से 03/2017

1 प्रारम्भिक :-

(क) ग्राम पंचायत सायरी, जिला सोलन हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2014 से 03/2017 के लेखाओं का सामान्य व चयनित निर्माण कार्यों का विशेष अंकेक्षण संयुक्त निदेशक व उप सचिव पंचायती राज विभाग , हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HA(5)C(15)LAD/12669 दिनांक 7.4.2016 के संदर्भ मे इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) **गम्भीर अनियमितताओं का सार**

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	राशि लाखों में (₹)
1	बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में अन्तर	4.2	9.53
2	रोकड़ बही में लेखांकन व बैंक में जमा न करने बारे	5	0.03
3	कम जमा करना	6	0.01
4	किराये के रूप में कम प्राप्ति	7	0.12
5	गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष	10	0.71
6	निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही लाखों के स्टाक/स्टोर का क्रय करना	11	-
7	अतिरिक्त भुगतान	19.3.1	0.44
8	अतिरिक्त भुगतान	19.5.1	0.10
9	अग्रिम राशि का समायोजन न प्रस्तुत करना	19.7.5	0.25
10	अधिक भुगतान	19.12.1	1.01
11	शटरिंग कार्य हेतु संभावित अधिक /अनुचित भुगतान	19.12.2	1.20
12	अप्रयुक्त स्टील की वसूली न करना	19.12.3	0.43
13	अप्रयुक्त सीमेंट की वसूली न करना	19.12.4	0.25
14	अनियमित भुगतान	19.12.7	0.20
15	अप्रयुक्त स्टील की वसूली न करना	19.13.1	0.33
16	अधिक भुगतान	20	8.76
17	न्यूनतम दर पर कार्य का आबंटन न करने के परिणामस्वरूप संभावित हानि	22	0.19
18	दुकान किराये का वसूल न करना	24	1.03

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सायरी, जिला सोलन के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2014 तक के लेखाओं का सामान्य एवं विशेष अंकेक्षण श्री अनिल कुमार शर्मा , अनुभाग अधिकारी व श्री सोम राज कपूर , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 14.07.17 से 02.08.2017 तक सायरी पंचायत के कार्यालय मे किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

सामान्य अंकेक्षण मे लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	08/2014	03/2015
2015-16	05/2015	10/2015
2016-17	01/2017	03/2017

अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय स्थिति का प्रारूपण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है , की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है। प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जांच के पश्चात अंकेक्षण के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न विवरणानुसार प्रधान एवं सचिवों ने आहरण एवं वितरण अधिकारियों के रूप में कार्य किया:-

क्र° सं°	प्रधान का नाम	सचिव का नाम	पंचायत सहायक का नाम	अवधि
1	श्री सुंदर सिंह जसवाल	-	श्री संदीप कुमार	01.04.2014 से 20.02.2015
2	श्री सुंदर सिंह जसवाल	श्री राकेश कुमार	-	21.02.2015 से 22.01.2016
3	श्री मति अंजु राठौर	श्री राकेश कुमार	-	23.01.2016 से 19.01.2017
4	श्री मति अंजु राठोर	श्री लक्ष्मी नन्द	-	20.01.2017 से 31.03.2017

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत सायरी, विकास खण्ड कंडाघाट के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2014 के लेखाओं के सामान्य अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला—171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं0 6 दिनांक 28/07/2017 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण शुल्क की राशी को हि. प्र. जोगिंद्र सेंट्रल को-ओपेराटिव बैंक लिमिटेड सायरीघाट के बैंक ड्राफ्ट संख्या 083228 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेज दिया गया।

4 रोकड़ बही

4.1 रोकड़ वही का रख -रखाव उचित प्रकार से न करना:-

इस रोकड़ वही में पंचायत निधि का रख-रखाव, पंचायत के अपने स्त्रोतों से प्राप्त आय , पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय , पंचायत चौकीदार के वेतन एवं पंचायत के जन प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक आदि का लेखा -जोखा रखा जाता है। जांच में पाया कि रोकड़ वही का रख रखाव

पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 में वर्णित निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था। दिनांक 27.07.2016 को ₹15000 का हस्तगत राशि (cash in hand) मे से राशि बैंक मे जमा कारवाई गई लेकिन रोकड़ बही मे बैंक कॉलम मे प्राप्ति पक्ष मे इसे नहीं दर्शाया गया। माह 07/2016 व उसके उपरांत रोकड़ बही मे गणना की बहुत सारी गलतियाँ हैं व पंचायत द्वारा प्राप्त आय एवं व्यय का लेखांकन पूर्ण रूप में रोकड़ वही में नहीं किया गया था जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि रोकड़ वही के रख-रखाब में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। रोकड़ वही पंचायत निधि की सही वितीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती थी । अंकेक्षणाधीन अवधि में ग्राम पंचायत सायरी की वितीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना के आय व व्यय के आधार पर निम्न प्रकार से है:

वितीय वर्ष	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
प्रारम्भिक शेष	842359	1881597	899669
प्राप्ति	2370103	3333625	2949441
योग	3212462	5215222	3849110
व्यय	1330865	4315553	2897314
अन्तिम शेष	1881597	899669	951796

दिनांक 31.03.17 को विभिन्न बैंक खातों में शेष का विवरण निम्नलिखित है :

Balance as per above statement : ₹951796

Balance as per Cash Book ₹48230

Balance as per Pass Book ₹1007729

Detail Of Opening and closing balance as per pass book:

Sr. No.	**Title of cash book**	**Bank name**	**Bank account no.**	**Opening as on 01.04.2014**	**Closing balance 31.03.2017**
1	General Cash Book	JCCB syrighat	102034022000027	61206	681517
2		JCCB syrighat	102034022000030	558282	287613
3		JCCB syrighat	102034022000003	68248	1660
4		SBOP syri	65211821414	0	20095
5	Cash in hand			1200	1208
6	MHWDP implementation	Uco Bank	11850110015360	62000	746
7	MHWDP maintenance	Uco Bank	11850110015353	305	14890
8	Indiara Awas Yojana	JCCB syrighat	102034022000017	91118	0
	Total			842359	1007729
	Difference in : (statement prepared by Audit team & from information				55933 (reconciliation required)

	provided by the Panchayat)				
	Difference : cash book prepaird by Panchayat and bank passbooks				959499 (reconciliation required)

4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न किए जाने के कारण रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों के अन्त शेष में ₹959499 का अन्तरः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मासिक आधार पर व वार्षिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई है। जिस कारण से वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31–03–2017 को निम्न विवरणानुसार रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹9,52,899 का अन्तर रोकड़ बही में कम शेष के रूप में है।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरूद्व होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण के साथ पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

4.3 र5.70 लाख अनुदानों का लेखांकन रोकड़ वही में न करना –

जांच में पाया कि जेसीसी बैंक के खाता संख्या 102034022000027 मे प्राप्त निम्न अनुदानों का पंचायत द्वारा लेखांकन रोकड़ वही में नहीं किया गया था जिससे रोकड़ वही अनुदानों की सही वितीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है एवं इन अनुदानों की राशि के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः निम्न अनुदानों की राशि का लेखांकन रोकड़ वही में न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं इन अनुदानों से किए गये व्ययों से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए: –

क्र.सं.	**रसीद संख्या**		**राशि**	**टिप्पणी**
1	060981 18.01.2017	दिनांक	1,00,000.00	आर/आर लिंक रोड लाड़ली
2	060982 18.01.2017	दिनांक	90000.00	आर/ आर पाथ सेरिघट तो हमणि
3	060983 18.01.2017	दिनांक	90000.00	आर /आर पाथ कनौल से धावला
4	060984 18.01.2017	दिनांक	90000.00	आर /आर पाथ हरिजन बस्ती कोट
5	060985 18.01.2017	दिनांक	200000.00	आर/ आर पाथ नलागढ़ रोड तो जीएमएस सेरीघाट
	कुल		**₹570000**	

4.4 ₹295 ब्याज के रूप में प्राप्त का लेखांकन रोकड़ बही में न करना :–

जांच में पाया गया कि दिनांक 25-05-2016 को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला द्वारा ₹295 खाता संख्या 65211821414 के अंतर्गत ब्याज के रूप में जमा की गई परंतु इसका लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है। अत: प्राप्त ब्याज की प्रविष्टि रोकड़ बही की जाये।

4.5 ₹0.12 लाख की नकद निकासी का रोकड़ बही में लेखांकन व वाउचर प्रस्तुत न करना: –

जांच में पाया गया कि ₹12000 यूको बैंक खाता संख्या 11850110015353 से दिनांक 02-09-2015 को सेल्फ चैक के द्वारा निकाली गई परंतु इसका लेखांकन न तो रोकड़ बही में किया गया और न ही व्यय प्रमाणक व वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि इस राशि का दुरुपयोग किया गया है। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा किया जाये।

4.6 ₹1.29 लाख के भुगतान का रोकड़ बही में लेखांकन व वाउचर प्रस्तुत न करना: –

जांच में पाया गया कि ₹129380 का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों को भिन्न –2 बैंक खातों से निम्न विवरणानुसार किया गया परंतु इसका लेखांकन न तो रोकड़ बही में किया गया और न ही व्यय प्रमाणक व वास्तविक प्राप्तकर्ता की रसीद को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया है जिसके कारण इस राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत खाते में जमा किया जाये :

बैंक का नाम	खाता संख्या	चैक संख्या	दिनांक	प्राप्तकर्ता का नाम	राशि
युको बैंक	11850110015360	220230	12-06-2015	सेवक राम	9000
युको बैंक	11850110015360	220231	27-08-2015	सेवक राम	20000
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	1382427	13-07-2015	विनोद कुमार	2000
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	959269	10-10-2016	विनोद कुमार	2200
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	959271	13-10-2016	उप प्रधान	15000
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	959272	13-10-2016	राकेश कुमार	30000
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	959273	28-10-2016	आशा राम	1680
जे.सी.सी. बैंक	102034022000030	959270	04-11-2016	एन.ई.एफ.टी.	9000
जे.सी.सी. बैंक	102034022000027	959207	04-06-2016	राकेश कुमार	40500
				कुल	**129380**

4.7 लैजर खातों का निर्माण न किये जाने बारेः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार पंचायत में चलाई जा रही समस्त योजनाओं के लिए फॉर्म 7 में लैजर खातों का निर्माण किया जाना अपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में लैजर खाते बनाने का

प्रयत्न ही नहीं किया गया है प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग समेकित लैजर बनाए जाने का उद्देश्य किसी भी समय तुरन्त योजना विशेष के सन्दर्भ में वित्तीय स्थिति तथा उपलब्ध अन्तशेष की जानकारी की उपलब्धता है। परन्तु इन लैजर खातों का निर्माण न करके इस नियम की अवहेलना की गई है। अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इन लैजर खातों का निर्माण नियमानुसार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.8 वर्गीकृत सार को तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में **वर्गीकृत सार** को तैयार करते हुए, एक आय तथा एक व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस ऐबस्ट्रैक्ट को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में मुश्किल आई साथ ही आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति का निर्माण करने में भी अतिरिक्त समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार **वर्गीकृत सार** का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

5 ₹0.03 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन व बैंक में जमा न करने बारे

जांच में पाया कि माह जनवरी , 2017 के दौरान ₹3467 निम्न विवरणानुसार दुकान के किराये व नकुलात फीस (Copying fee) के रूप में प्राप्त की गई परन्तु इस राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया और न ही सम्बंधित बैंक खाते में जमा करवाया गया जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि राशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः प्राप्त राशि का रोकड़ बही में लेखांकन न करने व बैंक में जमा न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें :-

क्रंम संख्या	विवरण	प्राप्ति सम्बंधि मास	रसीद संख्या	दिनांक	राशि
1	नकुलात फीस	-	060977	17-01-2017	147
2	दुकान किराया	12/2016	060978	18-01-2017	405
3	यथोपरि	12/2016	060979	18-01-2017	410
4	यथोपरि	12/2016	060980	18-01-2017	2505
				कुल	**3467**

6 ₹980 कम जमा करना :-

माह फरवरी, 2017 के दौरान ₹1470 श्री राकेश भारद्वाज से तीन मास की अवधि , दिनांक 01-11-2016 से 31-01-2017 तक के दुकान किराये के रूप में रसीद संख्या 61010 दिनांक 17-02-2017 के अंतर्गत प्राप्त की परन्तु रोकड़ बही पृष्ट संख्या 160 पर मात्र ₹490 ही प्राप्ति के रूप में दर्ज व आगामी वितीय लेनदेनों में शामिल की गई जिससे प्रतीत होता है कि ₹980/-

(1470-490) का दुरुपयोग किया गया है। अतः ₹980 का रोकड़ बही में लेखांकन न करने तथा बैंक में जमा न करने व आगामी वितीय लेनदेनों में शामिल न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली दण्ड ब्याज सहित उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें।

7 किराये के रूप में ₹0.12 लाख कम प्राप्त करना :-

दिनांक 07-02-2010 को आयोजित बैठक के प्रस्ताव संख्या 06 के तहत आंगनबाड़ी के नीचे का कमरा वरिष्ठ नागरिक सभा को ₹200 प्रतिमास किराये की दर पर दिया गया था। अंकेक्षण में प्रस्तुत संविदा की शर्त 3 के अनुसार प्रारम्भिक निर्धारित किराये में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ किराये की प्राप्ति की जानी अपेक्षित थी। दुकान किराया ऐकत्रिकरण रजिस्टर के पृष्ठ 48-ए पर दर्ज प्रविष्टियों की जांच करने पर पाया गया कि प्रथम किराये की प्राप्ति माह , 09/2012 से सुनिश्चित की गई तथा बिना वार्षिक वृद्धि के ही माह दिसम्बर , 2016 तक का किराया प्राप्त किया गया है जिसके परिणामस्वरूप ₹12010 निम्नविवरणनुसार किराये के रूप में कम प्राप्त की गई है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें :-

आबंटन की तिथि : 07-02-2010
प्रारम्भिक किराया : ₹200 प्रतिमास
अपेक्षित वृद्धि : 10 प्रतिशत वार्षिक

मास	अपेक्षित किराया	प्राप्त किराया	मासिक कम प्राप्ति	अवधि	वार्षिक कम प्राप्ति
02/10 से 01/11	200	-	200	12	2400
02/11 से 01/12	220	-	220	12	2640
02/12 से 08/12	242	-	242	07	1694
09/12 से 01/13	242	200	42	05	210
02/13 से 01/14	266	200	66	12	792
02/14 से 01/15	293	200	93	12	1116
02/15 से 01/16	322	200	122	12	1464
02/16 से 12/16	354	200	154	11	1694
				कुल	**12010**

8 निवेश के सन्दर्भ में टिप्पणियांः–

8.1 नियमानुसार निवेश न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Funds) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप अधिक आय प्राप्त की जा सके। परन्तु

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निवेश रजिस्टर का निर्माण करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप–1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार इस रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करवा लिया गया है। अतः बजट प्राक्कलनों को नियमानुसार तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 गृह कर के रूप मे पंचायत राजस्व की ₹0.71 लाख वसूली हेतु शेषः-

आय की जाच के दौरान और पंचायत सचिव द्वारा उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत राजस्व की गृह कर के रूप मे ₹70530 की वसूली शेष थी।

वर्ष	परिवार	गृह कर की दर	राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	2	3	4	5
2013	410	30	12300	12300
2014	445	30	13350	13350
2015	470	30	14100	14100
2016	506	30	15180	15180
2017	520	30	15600	15600
		Total		70530

अतः उक्त राजस्व की वसूली करने हेतु उचित कदम उठाए जाएँ तथा वसूली के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही लाखों के स्टाक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टाक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं उपबन्ध है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया जा रहा है जहां पर निविदाएँ मँगवाई भी गई हैं वहाँ पर भी अधिकतर प्रकरणों मे दो निविदाएँ ही पाई गईं हैं। अधिकतर निविदाओं पर कोई तिथि अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है की निविदाएँ दस्ती ही एकत्रित की गईं हैं , निविदाओं पर *purchase* क्रय समिति के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। निविदाएँ नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उपरोक्त के अतिरिक्त भी भण्डार के लिए की गई अन्य खरीद के अधिकतर मामलों में जिनका मूल्य ₹3000 से अधिक है को निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के बिना ही किया गया है। अतः स्टाक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम उच्चाधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टाक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव न किया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व 77(4) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को फॉर्म 10 में पंचायत की वर्ष के दौरान संभावित समस्त आय के लिए मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख रखाव करना होगा। परन्तु ग्राम पंचायत में इस प्रावधान की अवहेलना करते हुए इस रजिस्टर को आरम्भ ही नहीं किया गया है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार मांग व प्राप्ति रजिस्टर का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाए।

13 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹3.06 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। चयनित मासों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹306468 स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि

1	41 दिनांक 05.03.15	Bill No. 496 Dated 05.03.15 M/S Shiv om steel industries	Furniture	50000
2	42 दिनांक 13.03.15	Bill No. 135 Dated nil M/S Virender Singh Jaswal Contractor	Sand 450 cft @Rs. 50 Grit 300 cft @50	37500
3	43 दिनांक 16.03.15	Hand receipt of M/S manjoor ahmed	Labour Charges for white washing etc.	5270
4	43 दिनांक 21.03.15	Bill No. 656 dated nil M/S Sharma goods carrier	Sand 450 cft @ ₹50 Grit 150cft @50	30000
5	97 दिनांक 05.10.15	Bill No.024 dated 05.10.15 M/S Sunil Goods Carrier	Freight and loading unloading of Cement bags @46	12650
6	98 दिनांक 13.10.15	Bill No. 008 dated Nil M/S Sharma Road Lines	Stone 750 cft @23.33 Sand 300 cft @50	34000 (paid amount)
7	99 दिनांक 15.10.15	Bill No. 210 dated 11.10.15 M/S Kay ess graphics	Printing of posters and Cards	3250
8	101 दिनांक 23.10.15	Hand receipt M/S mohammed shahid painter	While wash GP syri	5400
9	102 दिनांक 26.10.15	Bill No. 5644 dated 16.10.2015 M/S Latawa Studio	Photos	4800
10	161 दिनांक 02.03.17	Bill No. 172 dated 2.3.17 M/S parihaar Goods carrier	Sand 340 cft ₹50 stone cft @30	38000
11	161 दिनांक 02.03.17	Hand Receipt for white washing etc. of panchayat Bhawan Sayri	Labour	7000
12	162 दिनांक 17.03.17	Bill No. 07 Dated 15.03.07 M/S Jagdish Chand Chadda & Sons, lower bhambla	Sand 100cft @₹50 stone 610 cft @27	21470
13	162 दिनांक 17.03.17	Bill No. 08 Dated 15.03.2017 of sunil Goods carrier Shimla	Sand 160 cft @₹50 Stone 100 cft @27	10700
14	163 दिनांक 17.03.17	Bill No. 10 Dated nil of Sunil Goods Carrier Shimla	Sand 252 cft @₹50	12428 (Amount paid and passes for)
15	163 दिनांक 25.03.17	Bill No. 203 Dated Nil for ₹41040 M/S	पाईप पत्ती व चद्दर	34000 (Passed

	Haminder and Brothers		and paid for) **306468**

13.1 ₹2.73 लाख की क्रय की गई मदों भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72 (1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई अथवा अस्थाई प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत में चयनित मासों के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार लगभग ₹273092 के भण्डार को क्रय उपरान्त भण्डार रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है। जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	रोकड़ बही पृ0सं0 व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	41 दिनांक 05.03.15	Bill No. 496 Dated 05.03.15 M/S Shiv om steel industries	Furniture	50000
2	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 472 Dated 20.11.14 M/S Uttam Hardware Store	Hardware Items	275
3	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 477 Dated 21.11.14 M/S Uttam Hardware Store	Stationary and Misc. items	200
4	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 478 Dated 04.01.15 M/S Uttam Hardware Store	Paint Material etc.	1803
5	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 345 Dated 08.01.15 M/S Uttam Hardware Store	Stationary and Misc. items	436
6	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 385 dated 10.01.15 M/S Uttam Hardware Store	Stationary material etc.	295
7	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 494 Dated 08.01.15 M/S Uttam Hardware Store	Electric Material	895
8	42 दिनांक 07.03.15	Bill No. 498 Dated 13-01-15 M/S Uttam Hardware Store	Electric Material	1090
9	42 दिनांक 13.03.15	Bill No. 135 dated Nil M/S Virender Singh Jaswal Contractor	Sand 450 cft @₹50 Grit 300 cft @ 50	37500
10	43 दिनांक 21.03.15	Bill No. 656 Dated Nil M/S Sharma goods carrier	Sand 450 cft @₹50 Grit 150 cft @50	30000
11	98 दिनांक 13.	Bill No. 008 Dated Nil	Stone 750 Cft	34000

	10.15	M/S Sharma Road Lines	@@23.33 Sand 300 cft @50	(Paid amount)
12	161 दिनांक 02. 03.17	Bill No. 172 dated 2.3.17 M/S Parihaar Goods Carrier	Sand 340 cft @ ₹50 stone 750 cft @30	38000
13	162 दिनांक 17. 03.17	Bill No. 07 dated 15.03.17 M/S Jagdish Chand Chadda & Sons, Lower Bhambla	Sand 100 cft @₹50 Stone 610 cft @27	21470
14	162 दिनांक 17. 03.17	Bill No. 08 dated 15.03.2017 of Sunil Goods Carrier Shimla	Sand 160 cft @₹50 Stone 100 cft @27	10700
15	163 दिनांक 17. 03.17	Bill No. 10 dated nil of Sunil Goods Carrier Shimla	Sand 252 cft @₹50	12428 (amount paid and passes for)
16	163 दिनांक 25. 03.17	Bill No. 203 dated Nil for ₹41040 M/S Haminder and Brothers	पाईप पत्ती व चद्दर	
			Total	**273092**

14 महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करने /प्रस्तुत न करने बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत में निम्नलिखित अभिलेख तैयार नहीं किए गए थे जिनके अभाव में पंचायत के कार्यक्लाप में पारदर्शिता का अभाव प्रकट होता है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करके पंचायत निधि को क्षति पहुंचाई गई थी। अतः निम्नलिखित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें व तुरन्त इनको तैयार करना सुनिश्चित करें। अभिलेखों का विवरण निम्न प्रकार से है :

14.1 अनुदान रजिस्टर तैयार/प्रस्तुत न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में अनुदान रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों का पता नहीं चल सका। अतः अंकेक्षण अवधि में प्राप्त समस्त अनुदानों की सूची एवं पंचायती राज वित्त नियम 88 के अनुसार उनके उपयोगिता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। भविष्य में नियमों के अनुसार अनुदान रजिस्टर तैयार करना सुनिश्चित करें।

14.2 भण्डार रजिस्टर तैयार /प्रस्तुत न करना एवं सामग्री का भौतिक सत्यापन न करने बारे:-

जांच में पाया कि पंचायत में भण्डार रजिस्टर तैयार नहीं किए गये थे जबकि जबकि पंचायती राज वित्त नियम 69,70,71 एवं 72 के अन्तर्गत प्रारूप-25,26,27 एवं 28 में भण्डार रजिस्टर तैयार करना अनिवार्य है। भण्डार रजिस्टर के अभाव में क्रय की गई सामग्री के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार भण्डार रजिस्टर तैयार न

करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार भण्डार रजिस्टर तैयार करके समस्त क्रय की गई सामग्री की इनमें प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त पंचायती राज वित्त नियम 73 (1) के अन्तर्गत प्रधान द्वारा कम से कम छः माह में एक बार तथा प्रत्येक वर्ष सदैव अप्रैल माह में सारे सामान का वस्तुगत सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। अतः नियमों के अनुरूप भण्डार रजिस्टर तैयार करना एवं उनका वस्तुगत सत्यापन करना सुनिश्चित करें।

14.3 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर उचित तरीके से तैयार न करना:–

जांच में पाया कि पंचायत में रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जबकि पंचायती राज वित्त नियम 13(5) के अनुसार प्रारूप –4 में रसीदों का इन्द्राज एवं निर्गमन किया जाना अपेक्षित था। रसीदों का स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करने से इनके दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उक्त रजिस्टर के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त पूर्ण राशि को खातों में जमा किया गया है अथवा नहीं। अतः नियमों के अनुसार रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं नियमों के अनुसार रसीदों का स्टॉक रजिस्टर तैयार करके समस्त छपवाई गई एवं निर्गमित रसीदों की इनमें प्रविष्टियाँ करना सुनिश्चित करें।

15 MANREGA:- (मनरेगा)

15.1 रोकड़ वही का रख –रखाव ठीक ढंग से न रखने बारे :–

इस रोकड़ वही में मनरेगा निधि के अन्तर्गत विभिन्न विकास कार्यों की निधि का रख –रखाव एवं पंचायत के विकास कार्यों पर व्यय का लेखा –जोखा रखा जाता है। जांच में पाया कि रोकड़ वही पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 7 में वर्णित निर्देशों के अनुसार तैयार नहीं की गई थी एवं दिनांक 25.01.2015 से 31.03.2017 तक की अवधि की रोकड़ वही प्रधान तथा सचिव द्वारा सत्यापित नही की गई थी एवं रोकड़ वही के पृष्ठ 38 से 44 खाली रखे गए थे या सही नहीं भरे गए थे एवं दिनांक 29.05.2015 के पश्चात भुगतानों में वाउचर संख्या अंकित नहीं की गई थी जिससे स्वतः ही स्पष्ट है कि इस रोकड़ वही के रख –रखाब में नियमों का पालन नहीं किया गया था एवं रोकड़ वही मनरेगा निधि की सही वितीय स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। अंकेक्षणाधीन अवधि में ग्राम पंचायत सायरी की मनरेगा की वितीय स्थिति रोकड़ वही में दर्ज प्राप्ति व भुगतान के आधार पर निम्न प्रकार से है:–

वितीय वर्ष	2014–15	2015–16	2016–17
प्रारम्भिक शेष	11301	57953	3651
प्राप्ति	163255	97389	341496.35
योग	174556	155342	345147.35
भुगतान	116603	151691	345147.35
अन्तिम शेष	57953	3651	0

नोट: दिनांक 01.04.2014 को MANREGA से संबन्धित खाता संख्या 11850101502896 (यूको बैंक) व खाता संख्या 102034022000010 (जेसीसी बैंक) मे क्रमश ₹8602 व

₹2699 प्रारम्भिक शेष के रूप में जमा थी। माह 05/2015 से MANREGA के अंतर्गत समस्त लेनदेनों को ऑनलाइन कर इसका भुगतान बीडीओ स्तर पर किया जाने लगा जिस के कारण उक्त खातों मे जमा राशि को अन्य खातों को हस्तांतरित करके खातों को बंद कर दिया गया।

15.2 मनरेगा अभिलेख का अपूर्ण पाया जानाः–

ग्राम रोजगार सहायक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख की जाँच में पाया गया कि मनरेगा से सम्बन्धित अभिलेख का दैनिक आधार पर अद्यतन (Update) नहीं किया जा रहा है। मस्ट्रौल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान व सचिव से करवाया गया है। इसी प्रकार रोजगार कार्ड रजिस्टर भी अधूरे पड़े हैं जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार निर्धारित कॉलम में प्रविष्टियां नहीं की गई हैं। यह एक अति गम्भीर अनियमितता है। अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15.3 अधूरा मस्ट्रौल रजिस्टरः– मस्ट्रौल रजिस्टर की जांच में पाया गया कि इसमें प्रविष्टियां न तो पूर्ण की गई हैं और न ही इनका सत्यापन पंचायत प्रधान व सचिव से करवाया गया है।

15.4 रोजगार कार्ड जांच हेतु उपलब्ध न करवाना :– रोजगार कार्ड जांच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए , जिनमें कार्डधारक को उपलब्ध करवाए गए रोजगार के सन्दर्भ में नियमानुसार जांच नहीं की जा सकी।

15.5 सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जानाः– हिमाचल प्रदेश सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क्रमांक एस एम एस –1/2016–16–आर डी (पी आर सी) दिनांक 13–05–2016 तथा इससे पूर्व में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत मनरेगा के अन्तर्गत करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों का विवरण पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर में रखा जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत सायरी द्वारा इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए सम्पत्ति रजिस्टर का अभिलेखन नहीं किया जा रहा है।

मनरेगा अभिलेख में उपरोक्त त्रुटियों का पाया जाना एक अति गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही एवं दिशानिर्देशों हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख का पूर्ण अद्यतन (Updation) करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य

था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नही किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
2	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	––	103
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	15(1)
4	विभिन्न अनुदानों के योजनावार लैजर खाते	7	29(1)
5	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर नियमानुसार उचित तरीके से सन्धारित नहीं हैं।	25 व 26	72(1)(a & b)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अतः इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

विशेष अंकेक्षण :

17 ग्राम पंचायत सायरी द्वारा दुकानों व जंजघर के निर्माण हेतु कर्ज लेना तथा उसका भुगतान न करना :

उपरोक्त के संबंध मे अंकेक्षण द्वारा अधियाचना संख्या 5 दिनांक 27.07.2017 के माध्यम से सूचना मांगी गयी थी तथा पंचायत सचिव द्वारा जो सूचना व अभिलेख प्रस्तुत किए गए उनके अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ₹3,00,000 का कर्ज सरकार से लिया गया था। सामान्यता ग्राम पंचायत को निर्माण स्थल का सही चयन करने के उपरांत निर्माण कार्य का प्राक्कलन व निर्माण स्थान का चयन करके व नक्शा तैयार करके सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करवाना होता है। ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत की किसी भी संपत्ति से होने वाली आय का आंकलन करने के उपरांत ही निर्माण स्थल का चयन करना होता है। सरकार निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही ग्राम पंचायत को धन उपलबद्ध करवाती है। उपरोक्त सूचना व उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जांच करने पर पता चला कि पंचायत द्वारा उस भूमि को गिरवी रख कर ऋण ले लिया गया जो कि वास्तव मे सरकार की थी। उपलब्ध करवाए गए राजस्व अभिलेख की प्रति व दी गई सूचना के अनुसार जिस जमीन पर दुकान और जंज घर प्रस्तावित किया गया उस पर पंचायत का कब्जा था लेकिन उस भूमि की असली मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार थी। लेकिन उसी जमीन को तीन लाख रुपये मे सरकार के पास गिरवी रखकर ऋण ले लिया गया। THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (FINANCE, BUDGET, ACCOUNTS, AUDIT, WORKS, TAXATION AND ALLOWANCES) RULES, 2002 के नियम 28 के अनुसार पंचायत सरकार कि संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण ले सकती है लेकिन उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता

होती है, इस संबंध मे संपत्ति गिरवी रखने हेतु सरकार की विशेष अनुमति अंकेक्षण मे नहीं दिखाई गयी।

उक्त ऋण के स्वीकृति आदेश अनुसार ऋण की राशि को 20 बराबर वार्षिक किस्तों मे लौटाया जाना था। ऋण पर ब्याज तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से लगना था तथा किस्त समय पर वापिस ना करने पर वार्षिक दंड ब्याज सहित वापिस लौटानी थी। ऋण रजिस्टर की उपलब्ध कारवाई गई फोटोप्रति के अनुसार निम्न विवरणानुसार सरकार को भुगतान किया गया :

क्रम सं.	ऋण किस्त की अदायगी	ब्याज की अदायगी	शेष	दिनांक
1			300000	
2	15000	12011	285000	12.09.2002
3	15000	12000	270000	24.04.2003
4	15000	12000	255000	08.06.2004
5	15000	12000	240000	06.06.2005
कुल	**60000**	**48011**		

अंकेक्षण अधियाचना के उत्तर के अनुसार आय रजिस्टर उपलब्ध न हो पाने के कारण अभी तक हुई आय का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया है परंतु वर्तमान मे इससे कोई आय नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त ₹ दो लाख की अतिरिक्त राशि से इसकी मुरम्मत /पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है। THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (FINANCE, BUDGET, ACCOUNTS, AUDIT, WORKS, TAXATION AND ALLOWANCES) RULES, 2002 के नियम 8 के अनुसार ग्राम पंचायत के खाता A/क का उपयोग ऋण के भुगतान हेतु किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकरण मे ऐसा नहीं किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि सरकार से लिए गए ऋण की वापसी 2005 के बाद नहीं की गयी है और प्रतिवर्ष दंड ब्याज भी लग रहा है। वर्तमान मे कोई आय न होना दर्शाता है कि जिस उद्देश्य हेतु यह दुकान व जंजघर बनाया गया था वह भी पूरा नहीं हो पाया है। उक्त प्रकरण उचित समाधान हेतु उच्च अधिकारियों के ध्यान मे लाया जाता है।

18 निम्नलिखित कार्य बिलों के संबंध मैं पंचायत का अनुमोदन प्रस्ताव या कार्य समिति के गठन का प्रस्ताव अंकेक्षण को नहीं दिखाया गया जिससे प्रतीत होता है की उक्त कार्य को बिना पंचायत में अनुमोदन के ही किया गया है इस संबंध मे स्पष्टीकरण दिया जाये या फिर उक्त अनुमोदन प्रस्तुत किया जाये।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	Completion of anganwari bhawan, vill. Kot.	3,00,000
2	Additional amount mahila mandal, shanghlayana.	80,000
3	Additional amount for Community bhawan dhando	80,000
4	Additional amount for community centre Shalog Koliyan	1,50,000
5	Additional amount for community centre Shanghlayana	70,000
6	Link road from syrighat to baba naag kutiya	50,000

19 कार्य बिलों का अंकेक्षण :

19.1 कार्य का नाम C/o link road fogli :

उक्त कार्य हेतु कुल ₹ तीन लाख उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 12615 के पृष्ठ संख्या 71 से 74 व 86 से 89 पर की गई है। वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र०सं	**रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	पृष्ठ 52 वाउचर 19	Bill No.152 Dated 23.04.15 M/s Virender singh jaswal	JCB 36 hours @ 850	30600.00 (paid 30000)
2	पृष्ठ 58 वाउचर 27	Bill No.170 Dated 24.05.15 M/s Virender singh jaswal	JCB 100 hours @ 850	85000.00
3	पृष्ठ 93 वाउचर 104	Bill No.027 Dated 05.09.15 M/s Thakur constructions	JCB 11.5 hours @ 800	9200.00
4	पृष्ठ 140 वाउचर 19	Muster roll 5 labours, ten days @ Rupees 200	5 labours 10 days @ Rupees 200	10000.00
5	पृष्ठ 140 वाउचर 20	Bill No.101 Dated 28.07.16 M/s Thakur constructions	JCB 8.30 hours @ 800	6800.00
		Bill No.107 Dated 12.08.16 M/s Thakur constructions	JCB 87 hours @ 790	63730.00
6	पृष्ठ 152 वाउचर 45	Bill No.109 Dated 28.11.16 M/s Thakur constructions	JCB 89 hours @ 790	70310.00 (paid 70000)
			कुल	**274730**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैः–

1. उक्त कार्य हेतु कुल ₹ तीन लाख स्वीकृत हुये थे लेकिन बिल/वाउचर केवल ₹274730 के ही प्रस्तुत किए गए शेष ₹25270 के बिल वाउचर अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उक्त राशि को संबन्धित संस्था को वापसी के संबंध मे कोई अभिलेख प्रस्तुत किया गया।
2. ऐसा प्रतीत होता है की उपरोक्त जेसीबी कार्य के संबंध निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि जो निविदाएँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत की गई उन पर न तो कोई तिथि अंकित थी और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।
3. उपरोक्त बिलों पर किए गए कार्य को कार्य समिति द्वारा सत्यापित भी नहीं किया गया था।
4. उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम, प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल / वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.2 कार्य का नाम C/o water storage tank village kot : उक्त कार्य हेतु कुल ₹ एक लाख उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 12615 के पृष्ठ संख्या 69 से 70 पर की गई है। इस संबंध मे कार्य आंकलन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए:

क्र०सं	**रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर**	**बिल का विवरण**	**सामग्री का विवरण**	**राशि**
1	पृष्ठ 48 वाउचर 04	Bill No.097 Dated 5/15 M/s Harinder singh jaswal	sand 160cft @ 47	7520.00 (paid 6000)

2	पृष्ठ 49 वाउचर 05	Musterroll 2 mistri @270 9 labourers @ 170	20 days each	41400.00 (paid 39500)
3	पृष्ठ 50 वाउचर 11	Bill No.32 Dated 4/3/15 M/s Sunil Goods Carrier	Stone 1200 cft/8 vehicles @ 3500 Sand 400cft @ 27.5	28000.00 11000.00
4	पृष्ठ 52 वाउचर 18	Hand receipt	White washing etc.	4500.00
			कुल	**89000.00**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1 उक्त कार्य हेतु कुल ₹ एक लाख स्वीकृत हुये थे लेकिन बिल/वाउचर केवल ₹89000 के ही प्रस्तुत किए गए शेष ₹11000 के बिल वाउचर या तो प्रस्तुत किए जाएँ या उक्त राशि की संबन्धित संस्था को वापसी के संबंध मे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

2 ऐसा प्रतीत होता है की उपरोक्त कार्य क्रम 1व 3 के संबंध निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि जो निविदाएँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत की गई उन पर न तो कोई तिथि अंकित थी और ना ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

3 उपरोक्त कार्य क्रम 4 हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी जोकि एक गंभीर अनियमितता है।

4 उपरोक्त बिलों पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

5 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि जो बिल/वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.3 कार्य का नाम C/o Mela ground and cultural room in village kot :

उक्त कार्य हेतु कुल ₹ तीन लाख बासठ हज़ार उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 12198 के पृष्ठ संख्या 39 से 46 पर की गई है। वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए:

क्र॰सं	रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	पृष्ठ 132 वाउचर nil	Bill No.374 Dated 10.10.15 M/s Uttam Hardware Store Syri Bill No.373 Dated 10.10.15 M/s Uttam Hardware Store Syri Bill No.388 Dated nil M/s Uttam Hardware Store Syri Bill No.386 Dated nil M/s Uttam Hardware Store Syri	White wash related material Rs. 11110.00 Misc. Items Rs. 5826.00 Misc items Rs.3976.00 Misc . items Rs. 10706.00	31618.00 (paid 31035)
2	पृष्ठ 107 वाउचर nil	Bill no. 2833 dated 7/11/12 of Mohammed Shahid painter, lakkar bazaar shimla.	Paint/white washing 3000ft @6.75	20250.00
3	पृष्ठ 107 वाउचर nil	Bill No.009 Dated 08.10.15 M/s Sharma Roadlines, Domehar	Sand 450cft @50 Grit 300cft @ 52	22500.00 15600.00 (paid 38000)

4	पृष्ठ 92 वाउचर nil	Bill No.4075 Dated nil of M/s Bhagra Steel sales 19, Ram mandir market, shimla	Iron and steel items	65000.00
5	पृष्ठ 90 वाउचर nil	Bill No.4053 Dated 26.08.2015 of M/s Bhagra Steel sales 19, Ram mandir market, shimla	Iron and steel items 303 @ 41.50 =12575 782.20 @ 41 = 32070 Labour 355	45000.00
6	पृष्ठ 82 वाउचर 78	Musterroll (पत्थर ढुलाई) 6 labourers @ 180 14.08.15 to 30.8.15	12 days each (पत्थर ढुलाई)	12960.00
7	पृष्ठ 90 वाउचर 100	Musterroll 2 mistri @ 271 and 6 labourers @ 180 07.08.15 to 31.8.15	Total 48 days for mistri and 129 for laboureres(खुदाई, चिनाई व ढुलाई)	36228.00 (paid 36000)
8	पृष्ठ 106 वाउचर 130	Musterroll 2 mistri @ 271 and 8 labourers @ 180 09.09.15 to 30.9.15	Total 44 days for mistri and 176 for laboureres	43604.00
9	पृष्ठ 94 वाउचर 107	Hand receipt dated 19.09.2015	Welding labour @ 20 rupees per kg	30000.00
			कुल	**321849.00**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1 **₹43973 का संदिग्ध अतिरिक्त भुगतान :** कार्य की माप पुस्तिका मद संख्या 7 पर स्टील का उपयोग 319 किलो तथा मद संख्या 8 पर 1272 किलो दर्शाया गया है अतः कुल 1591 किलो @ 41.50 (मार्केट दर) पर स्टील पर कुल खर्च ₹66027 बनता है जबकि उपरोक्त क्रम संख्या 4 व 5 पर ₹110000 का वास्तविक व्यय कर दिया गया है। उक्त ₹43973 के अतिरिक्त व्यय का या तो औचित्य सपष्ट करें या फिर उचित स्त्रोत से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2 उक्त कार्य हेतु कुल ₹362000 स्वीकृत हुये थे लेकिन बिल/वाउचर तथा विवरणी केवल ₹321849 के ही प्रस्तुत किए गए शेष ₹40151 के बिल वाउचर या तो प्रस्तुत किए जाएँ या उक्त राशि की संबन्धित संस्था को वापसी के संबंध मे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

3 ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य के क्रम संख्या 3 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि जो निविदाएँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत की गई उन पर न तो कोई तिथि अंकित थी और ना ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

4 उपरोक्त कार्य मे क्रम संख्या 1,2,4,5 व 9 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और ना ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

5 उपरोक्त बिलों क्रम संख्या 6,7 व 8 पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

6 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल /वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.4 कार्य का नाम C/o Community centre at SC villege Brijeshwar Mandir Kot :

उक्त कार्य हेतु कुल ₹ दो लाख साठ हज़ार उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 7087 के पृष्ठ संख्या 14 से 22 व माप पुस्तिका संख्या 7088 के पृष्ठ संख्या 1 से 7 पर की गई है। वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र॰सं	रोकड़ बही पृष्ठ व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	पृष्ठ 79 दिनांक 12.07.2012	Musterroll 2 mistri @ 240 and 17 labourers @ 130	28 days each	75320.00 (paid 75000)
2	पृष्ठ 80 दिनांक 13.07.2012	Bill no. 164 dated 13/07/12 of M/s Harinder Singh Jaswal	Sand 445cft @ 45	20025.00 (paid 20000)
3	पृष्ठ 83 दिनांक 02.08.2012	Bill No.077 Dated 28.07.12 M/s Virender Singh Jaswal	Sand 250cft @45 Grit 200cft @ 45	20250.00 (paid 20000)
4	पृष्ठ 86 दिनांक 16.08.2012	Bill No.385 Dated nil of M/s Thakur Shutrring Store , totu	Shuttring 2250sft @ 8 = 18000 Mixer rent =4000 Freingh = 3000	25000.00
5	पृष्ठ 97 दिनांक 17.10.2012	Bill No. 2012-13/00411 Dated 23.04.2012 of M/s Bhagra Steel sales 19, ram mandir market, shimla	Iron and steel items 315.800 @ 49.05 + 5% VAT Truck charges Rs. 480	16744.00
6	पृष्ठ 97 दिनांक 17.10.2012	Bill No.305 Dated nil of M/s Sharma Goods Carrier	Sand 270 cft @ 45	12150.00 (paid 12006)
7	पृष्ठ 34 दिनांक 23.11.2011	Bill No.335 Dated nil of M/s Sharma Goods Carrier	Aggrigate 300 cft @ 45 Sand 200 cft @ 45	22500.00 (paid 20000)
8	पृष्ठ 38 दिनांक 16.12.2011	Bill No.065 Dated 16.12.11 M/s Virender Singh Jaswal	10 trucks stone @ Rs. 3000 per truck	30000.00
9	पृष्ठ 50 दिनांक 27.02.2012	Bill No.316 Dated nil of M/s Kanwar Goods Carrier	Sand crusher 400cft @ 25	10000.00
10	पृष्ठ 57 दिनांक 31.03.2012	42 bag cement = 9400 Fair, loading/unloading = 2100	Voucher not produced	11500
			कुल	**₹240250**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1 **₹1909 का संदिग्ध अतिरिक्त भुगतान :** कार्य की माप पुस्तिका पृष्ठ संख्या 3 पर 8 एमएम स्टील का उपयोग 63.96 किलो दर्शाया गया है साथ ही यह भी लिखा गया है कि साइट पर कुल प्राप्त 8 एमएम स्टील 101.02 किलो माप पुस्तिका पर गणना 101.02 किलो के हिसाब से ही की गई है।

अतः कुल 37.06 किलो अधिक स्टील का उपयोग का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया है। या तो इसका औचित्य स्पष्ट किया जाये या फिर @ 51.50 (मार्केट दर अर्थात 49.05+5% वैट) पर स्टील पर कुल अतिरिक्त व्यय ₹1909 की उचित सत्रोत से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2 उक्त कार्य हेतु कुल ₹260000 स्वीकृत हुये थे लेकिन बिल/वाउचर/विवरण केवल ₹240250 के ही प्रस्तुत किए गए शेष ₹19750 के बिल वाउचर या तो प्रस्तुत किए जाएँ या उक्त राशि की संबन्धित संस्था को वापसी के संबंध मे अभिलेख प्रस्तुत किए जाएँ।

3 ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त कार्य क्रम संख्या 2,3,6,7,8 व 9 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि जो निविदाएँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत की गई उन मे से अधिकतर पर न तो कोई तिथि अंकित थी और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

4 उपरोक्त कार्य मे क्रम संख्या 4 व 5 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

5 उपरोक्त बिलों क्रम संख्या 1 पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

6 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल /वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.5 कार्य का नाम C/o Additional amount of community bhawan dhando: उक्त कार्य हेतु कुल रुपये अस्सी हज़ार उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 12615 के पृष्ठ संख्या 53 से 57 व 67 से 68 पर की गई है। वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र॰सं	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	Bill no. 3407 dated 24/06/13 of M/s Bhagra steel sales shimla	395 kg @ 45.50= 17972.50 Loading = 120 Freight = 650	18742.50
2	Bill no. 101 dated 01/02/14 of M/s jai maTA ENTERPRISES	Stone 550 @ 30	16500.00
3	Bill No.168 Dated 06.02.15 M/s Uttam Hardware Store	Painting/ white washing Material	3782.00
4	Bill no. 48 dated 22/08/13 of M/s Thakur contractor	Sand 300cft @45 Aggrigate 150 cft @ 45	20250.00
		कुल	**59274.50**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1 **₹9555 का अतिरिक्त भुगतान :** कार्य की माप पुस्तिका मे स्टील का उपयोग 185 किलो दर्शाया गया है लेकिन उपरोक्त वाउचर क्रम संख्या 1 पर स्टील की खरीद 395 किलो दर्शाई गई है । अतः 210 किलो (395-185) @45.50 कुल ₹9555 के अतिरिक्त स्टील बारे औचित्य सपष्ट करें या फिर उचित स्त्रोत से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

2 उपरोक्त कार्य /खरीद के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

3 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल /वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.6 कार्य का नाम C/o Additional amount for community centre shalogh koliyan: उक्त कार्य के वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर /विवरण इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र॰सं	रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	पृष्ठ 35 वाउचर संख्या 59	Bill no. 92 dated 18/01/15 of M/s harinder singh jaswal	Bricks 800 @ 6	4800.00
2	पृष्ठ 85 वाउचर संख्या 31	Bill no. 55733 dated 05/04/14 of M/s civil supplies (proportionate allocation)	9 bag cement	1830.60
3	पृष्ठ 85 वाउचर संख्या 32	Bill No.212 Dated 18.03.2014 M/s sunil good scarier (proportionate allocation)	carriage	270.00
4	पृष्ठ 70 वाउचर संख्या 19	Bill no. 55733 dated 05/04/14 of M/s civil supplies (proportionate allocation)	11 bag cement	2237.40
5	पृष्ठ 70 वाउचर संख्या 20	Bill No.212 Dated 18.03.2014 M/s sunil good scarier (proportionate allocation)	carriage	330.00
6	पृष्ठ 73 वाउचर संख्या 21	Musterroll 59 days mistri @ 217 and 259 days labourers @ 150	--	51653.00 (paid 31403)
7	पृष्ठ 54 वाउचर संख्या 9/1	Bill No.305 Dated 19.03.2014 M/s sunil good scarier	Sand crusher 150 cft@ 25	3750.00
8	पृष्ठ 54 वाउचर संख्या 9/2	Bill No.306 Dated 20.03.2014 M/s sunil good scarier	stone 150 cft@ 25	3750.00
9	पृष्ठ 54 वाउचर संख्या 9/3	Bill No.307 Dated 21.03.2014 M/s sunil good scarier	stone crusher 150 cft@ 25	3750.00
10	पृष्ठ 54 वाउचर संख्या 9/4	Bill No.210 Dated 01.04.2014 M/s sunil good scarier	stone 150 cft@ 25	3750.00
11	पृष्ठ 19 वाउचर संख्या 64	Bill No.143 Dated 21.01.2014 M/s sunil good scarier	sand 300 cft@ 50	15000.00
12	पृष्ठ 36 वाउचर संख्या 80	Bill No.102 Dated 06.11.2013 M/s baldev Sharma goods carrier (proportionate allocation)	carriage of cement	1375.00

13	पृष्ठ 28 वाउचर संख्या 70	Bill No.165 Dated 15.02.2014 M/s sunil good scarier	sand 150 cft@ 50	7500.00
14	पृष्ठ 28 वाउचर संख्या 71	Bill no. 3963 dated 28/10/13 of M/s civil supplies (proportionate allocation)	55 bag cement	11187.00
15	पृष्ठ 19 वाउचर संख्या 64	Bill No.154 Dated 21.01.2014 M/s sunil good scarier	grit 300 cft@ 47	14100.00
16	पृष्ठ 94 वाउचर संख्या nil	Bill No.3008 Dated 03.10.2012 M/s bhagra steel sales (P) ltd.	16mm =510 kg 10mm= 403.50 kg 8mm = 240 kg Total 1153.50 kg @46.50 Handling 318 Freight 600	54555.75 (paid 53896)
17	पृष्ठ 67 वाउचर संख्या nil	Bill No.499 Dated 14.01.2015 M/s uttam hardware and store	Misc.	152.00
18	पृष्ठ 67 वाउचर संख्या nil	Bill No.496 Dated 11.01.2015 M/s uttam hardware and store	Misc.	1270.00
19	पृष्ठ 67 वाउचर संख्या nil	Bill No.171 Dated 10.02.2015 M/s uttam hardware and store	Misc.	4056.00
20	पृष्ठ -- वाउचर संख्या 7	Musterroll 51 days mistri @ 140 and 184 days labourers @ 130	--	31060.00
			कुल	**195467.00**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1 उपरोक्त कार्य मे खरीद के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि बिल पर थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

2 उपरोक्त musteroll पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

3 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल /वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

19.7 कार्य का नाम C/o Additional amount for community centre Shagalyana:

1 उक्त कार्य के वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे।

2 उक्त कार्य मे खरीद के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि बिल पर थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

3 उक्त कार्य मे musteroll पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

4 उक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल / वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

5 रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 10, वाउचर संख्या 93 द्वारा श्री सोहन लाल वार्ड पंच को कार्य शुरू करने हेतु ₹25000 दिये गए थे लेकिन उक्त के समायोजन के संबंध मे कोई भी वाउचर अथवा अभिलेख अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं क्या गया है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त राशि का समायोजन ही नहीं किया गया है जो कि एक गंभीर अनियमितता है। उक्त का औचित्य स्पष्ट करें या फिर उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाये ।

19.8 कार्य का नाम C/o Road approaching syrighat to baba naaga kutiya:

Road approaching syrighat to baba naaga kutiya के निर्माण के मूल्यांकन की माप पुस्तिका संख्या 800SML पृष्ठ 63-64 दर्ज प्रविष्टियों की जाँच पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन में "cutting in earth work" शीर्षक के अंतर्गत कुल 434.625 घनमीटर का कार्य ₹73443 के लिये मूल्यांकित किया गया जबकि उक्त कार्य के लिये M/S सुनील गुड्स कैरियर को जे0सी0बी0 चार्जिस के रूप में बिल संख्या 051 जोकि 64 घंटे JCB कार्य हेतु @₹790 प्रति घंटे कि दर से ₹50560 का था उसका भुगतान ₹49000 किया गया था।

उपरोक्त अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि 434.625 घन मीटर "अर्थ कटिंग"के लिये जे0सी0बी0 द्वारा घंटे 64 का कार्य दर्शाना और उसका भुगतान करना हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग के "ऐनेलेसिस फॉर रेटस-2009 (based on standard data book for Himachal Pradesh Rural Roads) Vol-1 (दिनांक 25.10.2009 से लागू) के अध्याय 8 के पैरा 3, में दिये गए मानको के अंतर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य मद का "मैनुयल मींस" से मूल्यांकन और "मैनुयल मींस" के लिये भुगतान किया जाना एक गम्भीर मामला है। अतः उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में विस्तृत प्रमाणिकता प्रस्तुत की जाये अन्यथा मैकेनिकल मींस से मूल्यांकन करके अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये। उक्त के अतिरिक्त इस कार्य के सम्बंध में कोई भी निविदा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा न ही कम राशि के भुगतान का कोई औचित्य ही स्पष्ट किया गया था।

19.9 कार्य का नाम C/o Repair and restoration of damaged panchayat building Simbal ghati vill. chandoli: उक्त कार्य के वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न विवरण इस संबंध प्रस्तुत किया गया :

क्र०सं	रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	पृष्ठ 93 वाउचर संख्या 105	Bill no. 321 dated 13/09/15	Doors and windows	23000.00
2	पृष्ठ 111 वाउचर संख्या 140	Bill no. 328 dated 30/10/15	Chaukhat, frames, palley	30000.00
3	पृष्ठ 98 वाउचर संख्या 112	Bill No.008 Dated nil	Stone and sand	34000.00
4	पृष्ठ 116 वाउचर संख्या --	Muster roll	50 mandays mistry @271 200 mandays @180	49550.00
			कुल	**136550.00**

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:–

1 उपरोक्त कार्य मे खरीद के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और न ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि बिल पर थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

2 उपरोक्त musteroll पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

3 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल /वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं?

4 उपरोक्त कार्य हेतु अनुमोदित ₹2,00,000 थी लेकिन अंकेक्षण मे केवल ₹1,36,550 का विवरण ही प्रस्तुत किया गया। उक्त कार्य के वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये जाने के कारण विस्तृत जांच कर पाना संभव नहीं हो पाया। अंकेक्षण मे बताया गया कि उक्त कार्य उसी जमीन पर करवाया गया था जो कि पंचायत की नहीं थी लेकिन पंचायत का कब्जा था।

19.10 **C/O Uvak mandal Bhawan Ladli :** उक्त कार्य के संबंध मे अंकेक्षण 51 अधियाचना संख्या 3 दिनांक 18.07.2017 के उत्तर मे बताया गया कि युवक मण्डल टॉयलेट लाड़ली हेतु ₹110000 दिनांक 04.11.2015 को प्राप्त हुई थी व अभी यह कार्य चल रहा है इस कारण से माप पुस्तिकाओ मैं इसकी प्रविष्टि न करने के कारण रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। जबकि नियमानुसार प्रत्येक कार्य पर जारी मस्ट्रोल पूर्ण होने पर माप पुस्तिका में रिकार्ड प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत में कार्य पूर्ण होने पर ही प्रविष्टि की जाती है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। इस संदर्भ में नियमों के विपरीत कार्य करने हेतु उचित कार्यवाई की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त कार्य पूरा होने पर अंकेक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करे।

19.11 **C/O लिंक रोड गाँव लाड़ली से गाँव कोटला :** उक्त कार्य के संबंध मे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 3 दिनांक 18.07.2017 के उत्तर मे बताया गया कि लिंक रोड लाड़ली (कोटला) के लिए राशि पंचायत को प्राप्त नहीं हुई है अतः इस कार्य पर कोई भी व्यय नहीं किया गया है।

19.12 C/O लंगर हाल का निर्माण:

19.12.1 ₹101142 का संभावित अधिक भुगतान :-

लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर , गांव कोट के निर्माण के मूल्यांकन की माप पुस्तिका संख्या 8141 पृष्ठ 6-7 पर दर्ज प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन में "अर्थ वर्क" शीर्षक के अंतर्गत कुल **105.76** (73.36 + 32.4) घनमीटर का कार्य ₹**27908** (11995+7905=19900 - 2985 कांट्रेक्टर प्रॉफिट + 10993 लेबर एन्हांसमेंट) के लिये मूल्यांकित किया गया जबकि उक्त कार्य के लिये श्री वीरेंदर जसवाल , तारदेवी, शिमला को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 89 तथा 98 पर दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार प्रमाणक संख्या 94 व 114 के अंतर्गत दिनांक 02-09-2015 और 13-10-2015 को जे. सी. बी. चार्जिस के रूप में **153** (60+93) घण्टे के कार्य के लिये ₹850/- प्रतिघण्टा की दर से कुल ₹129050 (51000+79050=130050 - 1000 छूट) का भुगतान किया गया जो कि वास्तविक मूल्यांकन से ₹101142 (129050-27908) अधिक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाया गया कि 105.76 घनमीटर "अर्थ कटिंग" के लिये जे. सी. बी. द्वारा घण्टे 153 का कार्य दर्शाना और उसका भुगतान करना हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के "ऐनेलेसिस फॉर रेटस -2009, वोल -1" (दिनांक 25-10-2009 से लागू) के अध्याय 8 के पैरा 3, ए (बी) में दिये गये मानकों के अंतर्गत उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य मद का "मैनुअल मींस" से मूल्यांकन और "मैकेनिकल मींस" के लिये भुगतान किया जाना भी गम्भीर मामला है। अत: उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में विस्तृत प्रामाणिकता प्रस्तुत की जाये अन्यथा ₹101142 की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.2 शटरिंग कार्य हेतु ₹1.20 लाख का संभावित अधिक एवम अनुचित भुगतान :-

लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर, गांव कोट के निर्माण के सम्बंध में जांच पर पाया गया कि ₹136000 का भुगतान मै. ठाकुर कांट्रेक्टर, ट्रांसपोर्टर एवम हाड्वेयर, टुटु, शिमला को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 113, प्रमाणक संख्या 142 दिनांक 19-12-2015 को 185.87 वर्गमीटर (2000 वर्गफुट) शटरिंग के किराये के रूप में किया गया जबकि माप पुस्तिका संख्या 8141 पृष्ठ 7 पर मूल्यांकित इस मद के अंतर्गत 65.05 वर्गमीटर शटरिंग का ही उपयोग स्थल पर किया गया जिसके लिये मात्र ₹16497 (13894 + 5514 लेबर एन्हांसमेंट – 2911 कांट्रेक्टर प्रॉफिट) का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार से स्पष्ट है कि 120.82 (185.87-65.05) वर्गमीटर अधिक शटरिंग अनावश्यक रूप से किराये पर ली गई और साथ ही ₹119503 (136000-16497) का मूल्यांकित राशि से अधिक एवम अनुचित भुगतान किया गया है। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.3 ₹0.43 लाख के अप्रयुक्त स्टील की वसूली न करना :-

लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर, गांव कोट के निर्माण हेतु मै. भागरा स्टील सेल्स, तारादेवी से 3861.9 किलो सरिया बिल संख्या 4091 दिनांक 16-10-2015 व 4097 दिनांक 28-11-2015 के अंतर्गत निम्न विवरणानुसार क्रय किया गया जिसके एवज में फर्म को `₹153365 (89000+18585+45780 फर्म के बिल के अनुसार धन) का भुगतान रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 101 व 110 पर दर्ज प्रमाणक संख्या 123 व 139 द्वारा दिनांक 23-10-2015 व 14-12-2015 को किया गया। क्रय किये गये स्टील की भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टियों के बिना ही इस मद का समस्त व्यय उपरोक्त कार्य के विरूद्ध बुक किया गया, जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 8141 पृष्ठ 7 पर दर्ज मुल्यांकन प्रविष्टियों के अनुसार मात्र 2767 किलो सरिये का ही उपयोग स्थल पर किया गया है जबकि 1094.9 किलो अप्रयुक्त सरिया न तो किसी अन्य कार्य को हस्तांतरित किया गया, न ही स्टॉक में वापिस लिया गया और न ही इसके एवज में ₹43478 (1094.9 X39.71) की वसूली सुनिश्चित की गई। अत: उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा ₹43478 की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

बिल संख्या/दिनांक	विवरण	मात्रा (किलोग्राम में)	दर (प्रतिकिलो)	राशि	टिप्पणी
	16mm	1640.00	39.80	65272	माप पुस्तिका में सरिये का
	12mm	230.00	39.50	9085	

4091/16-10-2015	10mm	560.00	40.50	22680	उपयोग नहीं दर्शाया गया है इसलिये औसत मूल्य 39.71 को वसूली का आधार माना गया है।
	8mm	945.00	40.80	38556	
	10mm	188.40	36.50	6877	
4097/28-11-2015	8mm	298.50	36.50	10895	
	कुल :-	**3861.90**	**-**	**153365**	

19.12.4 ₹0.25 लाख के अप्रयुक्त सीमेंट की वसूली न करना :-

लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर , गांव कोट के निर्माण हेतु रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 97 एवम 127 पर दिनांक 05-10-2015 व 25-05-2016 को अंकित भुगतान प्रविष्टि के अनुसार प्रमाणक संख्या 110 व 05 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, कंडाघाट से कुल 475 (275+200) बैग सीमेंट ₹256.26 प्रति बैग की दर से क्रय किये , जिसके लिये रोकड़ बही पृष्ठ 97, प्रमाणक 111 दिनांक 05-10-2015 के द्वारा ₹46 प्रति बैग किराये का भुगतान किया परंतु इसकी भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टियों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया। इस मद का समस्त व्यय उपरोक्त कार्य के विरूद्ध बुक किया गया। जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 8141 पृष्ठ 11 पर दर्ज मुल्यांकन प्रविष्टियों के अनुसार मात्र 391 बैग का ही उपयोग स्थल पर किया गया है जबकि 84 अप्रयुक्त सीमेंट बैग न तो किसी अन्य कार्य को हस्तांतरित किया गया , न ही स्टॉक में वापिस लिया गया और न ही इसकी वसूली ₹25390 (256.26+46=302.26 X84) सुनिश्चित की गई। अत : उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹25390 की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.5 ₹0.21 लाख के सीमेंट का अधिक मूल्यांकन एवमसंभावित अदायगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट +ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.- 2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर , गांव कोट के मूल्यांकन की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 8441 पृष्ठ 11 पर प्रयोग किये गये 391 सीमेंट बैग के लिये बाजार भाव ₹310 प्रति बैग तथा एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित दर ₹245 के अंतर ₹65 प्रति बैग के आधार पर ₹25415/- (310 - 245 = 65 X 391) की वृद्धि कार्य के मूल्यांकन में शामिल की गई जबकि हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम, कंडाघाट से प्रमाणक संख्या 110 एवम 05 दिनांक 05-10-2015 व 25-05-2016 के अंतर्गत क्रय किये गये सीमेंट का ₹256.26 प्रति बैग था। कार्य का मूल्यांकन करते समय ₹25415 की वृद्धि जमा किये जाने के स्थान पर ₹4403 (256.26 -245=11.26x391) को मूल्यांकन में शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य का मूल्यांकन ₹21012 (65 -11.26 = 53.74x 391) अधिक किये जाने परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.6 स्टील के बाजार भाव में कमी के कारण₹0.20 लाख को मूल्यांकन में न घटाना :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट + ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.- 2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। लंगर हॉल नजदीक

ज्वाला माता मंदिर, गांव कोट के मूल्यांकन की माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन में 2767 किलो सरिये का उपयोग किया गया है। माप पुस्तिका संख्या 8441 पृष्ठ 11 पर विभिन्न वस्तुओं के मार्केट रेट एवम एच .पी.एस.आर.2009 के बेसिक रेट के अंतर के कारण हुई वृद्धि को कार्य के कुल मूल्यांकन हेतु जोड़ा गया परंतु स्टील के बाजार भाव में हुई गिरावट के कारण एच .पी.एस.आर.2009 के अध्याय -2, आइटम कोड 02280202000 में दिये गये बेसिक रेट ₹45 प्रति किलो की अपेक्षा मार्केट रेट ₹37.86 प्रति किलो (औसत आधार पर) के कारण हुई कमी ₹19756 (45 -37.86 =7.14 X 2767) को कार्य के कुल मूल्यांकन में से घटाया नहीं गया है परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की उचित स्त्रौत से वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.7 ₹0.20 लाख का संभावित अनियमित भुगतान :-

सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ 98 पर दिनांक 13-10-2015 को दर्ज प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि ₹20000 का भुगतान हिम इंजीनियरस एंड आर्किटेक्ट एसोसिएट्स, टूटु,शिमला को वाउचर संख्या 115 के अंतर्गत चैक संख्या 138228 के द्वारा जे .सी.सी. बैंक खाता 102034022000027 में से कम्युनिटि हॉल ज्वाला माता मंदिर के प्राक्कलन व ड्राईंग के निर्माण हेतु किया गया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के अध्याय 11, नियम 94(3) के अनुसार ₹ पच्चीस हजार से अधिक परंतु ₹ पचास हजार से कम लागत के संकर्म के लिये समस्त प्राक्कलन ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक द्वारा तैयार किये जाएंगे जबकि पचास हजार या इससे अधिक की लागत के संकर्म कनिष्ठ अभियंता द्वारा तैयार किये जाने अपेक्षित थे। चूकि यह व्यय उक्त वर्णित नियम के अनुसार पूर्णत : अनियमित है अत: इसके बारे में औचित्य प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि खाते में जमा किया जाये।

19.12.8 लकड़ी के कार्य की पेमाईश किये बिना बिल ₹125000 को मूल्यांकन में शामिल करना व ₹25000 से अधिक मूल्यांकन करना :-

लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर, गांव कोट के निर्माण के सम्बंध में प्रस्तुत प्राक्कलन की जांच पर पाया गया कि मद संख्या 8 पर ₹67409.70 प्रति घनमीटर की दर से 0.5 घनमीटर प्रथम श्रेणी की देवदार वुड का प्रावधान रखा गया था परंतु कार्य के वास्तविक निष्पादन के मूल्यांकन पर लकड़ी के कार्य की पेमाईश के आधार पर मात्रा एवम मूल्य निर्धारण न करके मै . किरण वुडर्न इण्डस्ट्री, सायरी से रोकड़ बही 132 प्रमाणक संख्या 10 के अंतर्गत क्रय किये गये ₹125000 (वास्तविक भुगतान ₹100000) के लकड़ी के सामान को बिल के आधार पर ही माप पुस्तिका 8141 पृष्ठ 11 पर कुल मूल्यांकन हेतु जोड़ा गया। इस प्रकार लकड़ी के कार्य हेतु स्थल पर उपयोग की गई वास्तविक मात्रा तथा उसके लिये कितना व्यय अपेक्षित था, के तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी। अत : लकड़ी के कार्य का वास्तविक निष्पादन अर्थात पेमाईश तथा ततसमय की दर के आधार

मूल्यांकन किया जाये और इस मद हेतु भुगतान की गई राशि से तुल्नात्मक विश्लेषण करके आगामी अंकेक्षण में अवगत कराना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उपरोक्त ₹125000 के क्रय के बदले फर्म को मात्र ₹100000 का ही भुगतान किया गया है परंतु कार्य के कुल मूल्यांकन में ₹125000 को जोड़ा गया है। इस प्रकार कार्य का मूल्यांकन ₹25000 (125000-100000) से अधिक किया गया परिणमस्वरूप ₹25000 का अधिक भुगतान किया गया है। अत: इसके सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके निधि में जमा किया जाये।

19.12.9 ईंटों के प्रयोग के संबंध में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के कारण मूल्यांकित व वास्तविक व्यय राशि का सही आकलन न होना :-

जांच पर पाया गया कि लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर , गांव कोट के निर्माण के सम्बंध में माप पुस्तिका 8141 पृष्ठ संख्या 8 और 11 के अनुसार 10914 ईंटें स्थल पर उपयोग की गईं जिसके लिये ₹116831 (63352 + 53479) का मूल्यांकन किया गया परंतु **"परिशिष्ट-क"** पर वाऊचर वाईज दिये गये भुगतान के विस्तृत विवरण के अनुसार उपरोक्त कार्य के निष्पादन हेतु ईंटों का क्रय बाजार से किया गया प्रतीत नहीं होता और न ही प्रस्तुत अभिलेख से इस बात की पुष्टि हो सकी कि किसी प्रकार के भण्डारण में से ईंटें जारी की गईं हों। अत : इस तथ्य की पुष्टि सुनिश्चित की जाये कि यह ईंटें किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा दान दी गई हैं अथवा किसी अन्य निधि से क्रय की गईं हैं। यदि दान दी गईं हों तो माप पुस्तिका में किये गये कार्य के कुल मूल्यांकन में से उक्त राशि को घटाया जाये और यदि किसी अन्य निधि से क्रय की गई हों तो उस निधि मे राशि जमा किये जाने के साथ ही **"परिशिष्ट-क"** में दर्शाये गये भुगतान विवरण में इस राशि को जोड़ा जाये तथा कार्य के मूल्यांकन व भुगतान के वास्तविक आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाये व ततानुसार अधिक मूल्यांकन बारे अथवा स्वीकृत राशि उक्त राशि के अधिक व्यय बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये और फलस्वरूप अधिक किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करके निधि में जमा किया जाये।

19.12.10 ₹9823 ईंटों का अधिक मूल्यांकन एवम आदयगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट + ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर , गांव कोट के मूल्यांकन की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 8441 पृष्ठ 11 पर प्रयोग की गईं 10914 ईंटों के लिये बाजार भाव ₹8 प्रति ईंट तथा एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित दर ₹3.10 (वास्तविक निर्धारित दर ₹3/-) के अंतर ₹4.90 प्रति ईंट के आधार पर ₹53479 (8 - 3.10 = 4.90 X 10914) की वृद्धि कार्य के कुल मूल्यांकन में शामिल की गई । अंकेक्षण के दौरान ईंटों के क्रय सम्बन्धी बीजक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण प्रति ईंट बाजार भाव का आकलन नहीं किया जा सका लेकिन अन्य समकालीन कार्यों तथा **सलंगन परिशिष्ठ घ** पर निविदाओं की छाया प्रतियों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ईंटों की आपूर्ति ₹7 प्रति ईंट की गई है जिसके अनुसार ₹53479 की वृद्धि जमा किये जाने के स्थान पर ₹43656 (7-3 =4 x 10914) को मूल्यांकन में शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य का मूल्यांकन 9823/- (4.90 - 4 =0.90x 10914) अधिक किये जाने के

परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि को उचित स्त्रौत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.12.11 ₹0.16 लाख का अधिक मूल्यांकन एवम आदयगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट + ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस. आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। लंगर हॉल नजदीक ज्वाला माता मंदिर, गांव कोट की माप पुस्तिका संख्या 8441 पृष्ठ 6 से 11 पर दर्ज मूल्यांकन प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित दरों से अधिक दरों के आधार पर करने के परिणामस्वरूप ₹15869 का अधिक मूल्यांकन व भुगतान किया गया। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि को उचित स्त्रौत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

कार्य की मद का नाम	मात्रा	लेबर रेट				थ्रू रेट			
		गणना हेतु ली गईं दरें	एच.पी. एस.आर की दरें	मूल्यांकन हेतु ली गई अधिक दर	अधिक भुगतान	गणना हेतु ली गईं दरें	एच.पी. एस.आर की दरें	मूल्यांकन हेतु ली गई अधिक दर	अधिक भुगतान
	73.36 घ/मी	163.50	115.30	48.20	3535	163.50	115.30	48.20	3535
	32.40 घ/मी	244.00	180.55	63.45	2056	244.00	180.55	63.45	2056
	21.88 घ/मी	672.20	579.85	92.35	2021	2895.00	2802.90	92.10	2015
	89.84 व/मी	74.30	42.95	31.35	2816	121.10	73.40	47.70	4285
					10428				11891

अधिक मूल्यांकन (थ्रू रेट) :- ₹11891.

जमा लेबर एनहांसमेंट 65% ऑफ 10428 :- ₹6778.

₹18669.

घटाऐं 15% कांट्रेक्टर प्रॉफिट :- ₹2800.

कुल अधिक मूल्यांकन :- ₹15869

19.13 आंगनबाड़ी भवन, कोट का निर्माण

19.13.1 ₹0.33 लाख के अप्रयुक्त स्टील की वसूली न करना :-

आंगनबाड़ी भवन , गांव कोट के निर्माण के सम्बंध में रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 31 एवम 47 पर दिनांक 11-11-2011 व 01-02-2012 को अंकित भुगतान प्रविष्टि के अनुसार मै. भागरा स्टील सेल्स, तारादेवी से बिल संख्या 1950 दिनांक 15-11-2011 के अंतर्गत 1190.5

(12mm 395kgs, 10mm 410kgs, 8mm 385.5kgs) किलो सरिया ₹45.50/- प्रति किलो की दर से क्रय किया गया था परंतु इसकी भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टियों के बिना ही इस मद का समस्त व्यय उपरोक्त कार्य के विरूद्ध बुक किया गया , जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 7551 पृष्ठ 5 और 6 पर दर्ज मुल्यांकन प्रविष्टियों के अनुसार मात्र 455.44 किलो सरिये का ही उपयोग स्थल पर किया गया है जबकि 735.06 किलो अप्रयुक्त सरिया न तो किसी अन्य कार्य को हस्तांतरित किया गया, न ही स्टॉक में वापिस लिया गया और न ही ₹33445 (735.06 X45.5) की वसूली सुनिश्चित की गई। अत : उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹33445 की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.13.2 ₹11209 सीमेंट का संभावित अधिक मूल्यांकन एवम अदायगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मो के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट +ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। आंगन बाड़ी भवन, कोट के मूल्यांकन की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 7551 पृष्ठ 13 पर प्रयोग किये गये 124 सीमेंट बैग के लिये बाजार भाव ₹292.8 प्रति बैग तथा एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित दर ₹245/- के अंतर ₹47.8/- प्रति बैग के आधार पर ₹5927/- (292.80 - 245 = 47.8 X 124) की वृद्धि कार्य के मूल्यांकन में शामिल की गई जबकि हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम , कंडाघाट से बिल संख्या 0055733 दिनांक 05-04-2014 के अंतर्गत उक्त कार्य हेतु खरीदे गये सीमेंट का मूल्य ₹202.40/- प्रति बैग था। कार्य का मूल्यांकन करते समय ₹5927/- की वृद्धि जमा किये जाने के स्थान पर ₹(-)5282/- (202.40 - 245 = - 42.60 X 124) को मूल्यांकन में शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य का मूल्यांकन ₹11209/- (5927 जमा किया गया +5282 घटया जाना अपेक्षित था) अधिक किया गया परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया। अत: उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि को उचित स्त्रौत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.14 कार्य का नाम C/o Additional amount mahila mandal bhawan, shangalyana:

उक्त कार्य हेतु कुल ₹अस्सी हज़ार उपलब्ध करवाए गए व इस कार्य की असेस्मेंट माप पुस्तिका संख्या 12615 के पृष्ठ संख्या 61 से 64 पर की गई है। वर्क लेजर व वर्क एब्स्ट्राक्ट नहीं बनाये गए थे। पंचायत द्वारा निम्न वाउचर इस संबंध मे जांच हेतु प्रस्तुत किए गए :

क्र०सं	रोकड़ बही पृष्ठ व वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि
1	पृष्ठ 63 वाउचर संख्या 42	Bill no. 102 dated 01/02/14 of M/s jai maata mansa enterprises	Stone 450 cft @ 30	13500.00
2	पृष्ठ 63 वाउचर संख्या --	Bill no. 170 dated 08/12/15 of M/s Uttam Hardware Store	White washing material	4301.00
3	पृष्ठ 50 वाउचर संख्या 28	Bill No.47 Dated 22.08.13 M/s Thakur contractor and hardwre	Sand 350cft @45 Grit 150cft @ 45	22500.00
4	पृष्ठ -- वाउचर संख्या 34	Bill No.106 Dated 10.09.2013	Washed sand 150cft @50	7500.00
5	पृष्ठ 62 वाउचर	Musterroll 24 days mistri @	--	27354.00

	संख्या --	271 and 139 days labourers @ 150		
6	---	register of cement		---
		11.09.14	30 bag	
		05,11.2014	25 bag	
		कुल		75155.00+ cement bags

उपरोक्त निर्माण कार्य में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1 ऐसा प्रतीत होता है की उपरोक्त कार्य क्रम 1,3, व 4 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि जो निविदाएँ अंकेक्षण मे प्रस्तुत की गई उन मे से अधिकतर पर न तो कोई तिथि अंकित थी और ना ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

2 उपरोक्त कार्य मे क्रम संख्या 2 के संबंध मे निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई थीं और ना ही किसी कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर इत्यादि थे। यह एक गंभीर अनियमितता है जिसके लिए ज़िम्मेदारी निर्धारित की जाये।

3 उपरोक्त बिलों क्रम संख्या 5 पर किए गए कार्य को कार्य कमेटी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था।

4 उपरोक्त बिलों पर कार्य का नाम , प्रस्ताव संख्या व दिनांक लिखा जाना व सत्यापित किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। जिस से यह सुनिश्चित नहीं हो पाया की जो बिल / वाउचर प्रस्तुत किए गए हैं वो संबन्धित कार्य के ही हैं

19.15 सामुदायिक भवन, गांव चंदोली का निर्माण

19.15.1 ₹111371 का संभावित अधिक भुगतान :-

सामुदायिक भवन, गांव चंदोली के निर्माण के मूल्यांकन की माप पुस्तिका संख्या 12210 पृष्ठ 62 पर दर्ज प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य के निष्पादन में "वुड वर्क" शीर्षक के अंतर्गत फर्स्ट क्लास चील वुड का कार्य ₹16629 (15056-15% + 4506.68-15%) के लिये मूल्यांकित किया गया जबकि उक्त कार्य के लिये मै. किरण वुडर्न इण्डस्ट्री, सायरी, को रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 132 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार प्रमाणक संख्या 10 के अंतर्गत दिनांक 30-06-2016 को ₹128000/- का भुगतान किया गया जो कि वास्तविक मूल्यांकन से ₹111371/- (128000-16629) अधिक है। अतः उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में विस्तृत प्रामाणिकता प्रस्तुत की जाये अन्यथा ₹111371/- की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.15.2 ₹10836 की अप्रयुक्त ईंटों की वसूली न करना :-

सामुदायिक भवन, गांव चंदोली के निर्माण हेतु रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 83 एवम 84 पर अंकित भुगतान प्रविष्टि के अनुसार प्रमाणक संख्या 81 व 84 के अंतर्गत शर्मा रोड़ लाईन, डुमैहर, जिला सोलन से 13000 (8000+5000) ईंटों का क्रय ₹7 प्रति ईंट की दर से किया गया परंतु इसकी भंडारण रजिस्टर में प्रविष्टियों का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस मद का समस्त व्यय उपरोक्त कार्य के विरूद्ध बुक किया गया। जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 12210 पृष्ठ 61 पर दर्ज मुल्यांकन प्रविष्टि के अनुसार ईंटों का 24.11 घनमीटर कार्य निष्पादित किया गया जिसके लिये एच.पी.एस.आर. 2009 के मानकों के अनुसार मात्र 11452 (24.11X475) ईंटों का उपयोग ही स्थल पर किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार 1548 अप्रयुक्त ईंटें न तो किसी अन्य कार्य को हस्तांतरित की गईं , न ही स्टॉक में वापिस ली गईं और न ही इसकी

वसूली ₹10836 (1548 X7) सुनिश्चित की गई। अत: उपरोक्त प्रकरण के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा ₹10836 की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.15.3 स्टील के बाजार भाव में कमी के कारण₹0.41 लाख को मूल्यांकन में न घटाना :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट + ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस. आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। सामुदायिक भवन, गांव चंदोली के निर्माण के मूल्यांकन की माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की जांच पर पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन में 6000 किलो सरिये का उपयोग किया गया है। माप पुस्तिका संख्या 12210 पृष्ठ 59 और 60 पर विभिन्न वस्तुओं के मार्केट रेट एवम एच .पी.एस.आर.2009 के बेसिक रेट के अंतर के कारण हुई वृद्धि को कार्य के कुल मूल्यांकन हेतु जोड़ा गया परंतु स्टील के बाजार भाव में हुई गिरावट के कारण एच .पी.एस.आर.2009 के अध्याय -2, आइटम कोड 022802020000 में दिये गये बेसिक रेट ₹45 प्रति किलो की अपेक्षा मार्केट रेट ₹38.24/- प्रति किलो (औसत आधार पर) के कारण हुई कमी ₹40560/- (45 - 38.24 = 6.76 X 6000) को कार्य के कुल मूल्यांकन में से घटाया नहीं गया है परिणामस्वरूप उक्त राशि का अधिक भुगतान किया गया। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की उचित स्त्रौत से वसूली करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.15.4 ₹6192 की ईंटों का अधिक मूल्यांकन एवम आदयगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट +ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। सामुदायिक भवन, गांव चंदोली के निर्माण के मूल्यांकन की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 12210 पृष्ठ 63 पर 13000 ईंटों के लिये बाजार भाव ₹7 प्रति ईंट तथा एच . पी. एस. आर. 2009 में निर्धारित दर ₹3/- के अंतर ₹4/- प्रति ईंट के आधार पर ₹52000/- (7-3=4X 13000) की वृद्धि को कार्य के कुल मूल्यांकन में शामिल किया गया जबकि माप पुस्तिका पृष्ठ 61 पर ईंटों के निष्पादित कार्य की मात्रा 24.11 घनमीटर दर्शाई गई है जिससे स्पष्ट है कि 11452 (24.11X475) ईंटों का ही उपयोग स्थल पर किया गया है। अत : ₹52000/- की वृद्धि को मूल्यांकन में जमा किये जाने के स्थान पर ₹45808/- (7-3=4 X11452) को मूल्यांकन में शामिल किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार निष्पादित कार्य का मूल्यांकन ₹6192/- (52000-45808) अधिक किये जाने के परिणामस्वरूप इस राशि का अधिक भुगतान किया गया। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि को उचित स्त्रौत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा किया जाये।

19.15.5 ₹1037/- का अधिक मूल्यांकन एवम आदयगी :-

पंचायत में किये गये विभिन्न संकर्मों के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित लेबर रेट अथवा थ्रू रेट + ततसमय के मार्केट रेट एवम एच . पी. एस . आर.-2009 में निर्धारित सामान की बेसिक दरों के अंतर के आधार पर किया गया। सामुदायिक भवन, गांव चंदोली के निर्माण के मूल्यांकन की माप पुस्तिका संख्या 12210 पृष्ठ 61 पर दर्ज सीमेंट प्लास्टर की प्रविष्टि की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार इस कार्य मद के निष्पादन का मूल्यांकन एच . पी. एस . आर. 2009 में निर्धारित थ्रू रेट से अधिक थ्रू रेट के आधार पर करने के

परिणामस्वरूप ₹1037 का अधिक मूल्यांकन व भुगतान किया गया। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि को उचित स्त्रौत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

मद	मात्रा	मूल्यांकन का विवरण		एच.पी.एस.आर. के अनुसार मूल्यांकन		अधिक मूल्यांकित राशि
		मूल्यांकन हेतु गणना में शामिल दर (थ्रू रेट)	मूल्यांकित राशि	एच.पी.एस.आर. में निर्धारित दर (थ्रू रेट)	एच.पी.एस.आर. की दर के अनुसार देय राशि	
सीमेंट प्लास्टर	153.47	91.45	**14034.83**	83.50	**12814.75**	**1220.08**

अधिक मूल्यांकित राशि :- 1220.08

घटाऐं कांट्रेक्टर प्रॉफिट :- 183.00

कुल अधिक मूल्यांकित राशि :- **1037.08**

20 ₹8.76 लाख का संभावित अधिक भुगतान :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के अध्याय 2, नियम 8 में खाता "क" से ग्राम पंचायत निधि के उपयोजन हेतु समाविष्ट उद्देश्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनके अतिरिक्त अन्य संकर्मो हेतु निधि का उपयोग करना विधि संगत प्रभार नहीं होगा जबकि नियम 9 के अनुसार खाता "ख" में से ग्राम पंचायत द्वारा उपगत व्यय केवल उसी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा जिसके लिये निधियां आबंटित की गईं हैं। जांच में पाया गया कि निम्न वर्णित संकर्मों में **परिशिष्ट "क" "ख" "ग"** में दिये गये विस्तृत विवरण के अनुसार आबंटित/स्वीकृत राशियों से ₹875624 का अधिक भुगतान किया गया है। पंचायत द्वरा नियमनुसार बैंक खातों का न रखने व अन्य पुष्टिकारक अभिलेख का निर्माण न करने के कारण तथा अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो सकी कि उपरोक्त अधिक व्यय किस निधि से अथवा किस अनुदान राशि के विषयांतर से किया गया है। इस प्रकार स्वीकृत राशि /प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना अनियमित एवम गम्भीर मामला है अत : इस सम्बंध मे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या	माप पुस्तिका के अनुसार मुल्यांकित राशि	प्रमाणकों के अनुसार भुगतान	स्वीकृत राशि / प्राप्त अनुदान	अधिक व्यय
लंगर हाल का निर्माण, कोट	8141	1004506	1239185	1000000	239185
सामुदायिक भवन का निर्माण, चंदोली	13166	1403515	1586736	14000000	186736
सामुदायिक भवन का निर्माण, कोट	कार्य प्रगति पर	मुल्यांकन नहीं किया गया है।	699703 (दिनांक 31-03-2017 तक)	250000 (दिनांक 31-03-2017 तक)	449703
कुल अधिक व्यय :-					**875624**

21 ₹0.50 लाख की व्यय राशि के उद्देश्य एवम प्रमाणक प्रस्तुत न करना :-

जांच में पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 105 दर्ज प्रविष्टि के अनुसार ₹50000 का भुगतान प्रमाणक संख्या 128 के अंतर्गत चैक संख्या 1382636 द्वारा जे.सी.सी. बैंक खाता संख्या 102034022000027 से श्री वीरेंदर सिंह जसवाल को किया गया परंतु न तो इस भुगतान के उद्देश्य का वर्णन रोकड़ बही में दर्शाया गया है तथा न ही इस सम्बंध में पूर्ण की गई किसी औपचारिकता से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया और न ही व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किया गया। अत : अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में दिखाया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करके निधि में जमा किया जाये।

22 न्यूनतम उद्धरण (निविदा) दाता को कार्य का आबंटन न करने के परिणामस्वरूप ₹0.19 लाख की संभावित हानि तथा निविदाओं के आमंत्रण में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करना :-

पंचयात द्वारा निविदाओं के आमंत्रण में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भते) नियम, 2002 के नियम 93(क)(6) सहपठित 67(5) व हिमाचल प्रदेश वितीय नियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। निविदाओं के आमंत्रण व उनको खोले जाने सम्बंधि औपचारिकताओं का किसी भी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही निविदाओं को किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। अंकेक्षण में प्रस्तुत निविदाओं के अपूर्ण एवम आंशिक अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि दर निवेदित करने वाली फर्म द्वारा न तो कार्य व कार्य स्थल का नाम और न ही तिथियों को निविदा पर अंकित किया गया तथा अधिकतर समय पर एक जैसे काम अथवा सामान आपूर्ति का आदेश एक ही फर्म को दिया गया जिससे प्रतीत होता है कि निविदाओं को मैनेज किया गया है। कटिंग इन अर्थ वर्क के लिये जे.सी.बी. द्वारा कार्य कराये जाने के सम्बंध में प्रस्तुत निविदाओं जिनकी पंचायत द्वारा सौंपी गईं छायाप्रतियां "**परिशिष्ट-ड.**" पर संलग्न हैं का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं	निविदा दाता का नाम	कार्य की प्रकृति	कार्य स्थल	निविदा की तिथि	दर (प्रतिघंटा)
1	लक्ष्मी दत शर्मा, गाँव धरोई डा0 काहला कंडाघाट	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	अंकित नहीं है	नहीं लिखी गई है	750
2	सुनील गुड्स कैरियर, गाँव कफलेड डा0 चनोग, शिमला	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	अंकित नहीं है	नहीं लिखी गई है	790
3	मै. वीरेंदर सिंह जसवाल, तारादेवी, शिमला	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	कटिंग ऑफ किचन हाल, ज्वाला मंदिर	नहीं लिखी गई है	850
4	बलदेव सिंह ठाकुर, तारदेवी, शिमला	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	कटिंग ऑफ किचन हाल, ज्वाला मंदिर	नहीं लिखी गई है	900
5	ठाकुर कंस्ट्रकशन, गाँव व डा0 जुब्बडहट्टी, शिमला	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	रोड़ वर्क	28-06-2016	790
6	परिहार गुडस कैरियर, गाँव नेरी डा0	जे.सी.बी.मशीन द्वारा कटिंग	रोड़ वर्क	28-06-2016	850

धियोला, सोलन

जांच मे पाया गया कि कटिंग इन अर्थ का कार्य उपरोक्त क्रम संख्या 1 और 2 पर वर्णित प्रथम तथा दूसरी न्युनतम दर निवेदित करने वाली फर्म से न करवा कर मै . वीरेंदर सिंह जसवाल, तारादेवी, शिमला से ₹850 प्रतिघंटा की दर से कराया गया जो कि प्रथम न्यूनतम निवेदित दर से ₹100/- (850-750) प्रतिघंटा अधिक थी। इस प्रकार अधिक दर पर कार्य आबंटन के कारण निम्न विवरणानुसार ₹19050/- की अधिक एवम अनुचित आदायगी की गई। अत : उपरोक्त के सम्बंध में औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके निधि में जमा किया जाये :-

कार्य	समय (घंटों में)	रोकड़ बही पृष्ठ/ वाउचर न.	दिनांक	भुगतान की गई राशि (₹850/घंटा)	न्यूनतम दर से भुगतान अपेक्षित (₹750/घंटा)	अधिक भुगतान
लंगर हाल का निर्माण, कोट	60	89/94	02-09-2015	50000 (प्रस्तुत बिल ₹51000)	45000	5000
यथोपरि	93	98/114	13-10-2015	79050	69750	9300
यथोपरि (13वां वित आयोग से भुगतान)	30	120/154	31-03-2016	25000 (प्रस्तुत बिल ₹25500)	22500	2500
सामुदायिक भवन का निर्माण, गांव कोट	29	158	17-01-2017	24000	21750	2250
			कुल :-			**19050**

23 गाड़ी भाड़े के रूप में ₹0.15 लाख का अधिक एवम अनुचित भुगतान तथा औपचारिकताओं को पूर्ण न करना :-

जांच में पाया गया कि कंडाघाट से सायरी तक सीमेंट लाने के गाड़ी भाड़े तथा लोडिंग व अनलोडिंग के रूप में एक निर्धारित दर ₹46 प्रति बैग के हिसाब से भुगतान किया गया परंतु उक्त दर किस प्राधिकारी /लोकल अथतॉरिटि द्वारा अथवा निविदाऐं आमन्त्रित करके निर्धारित की गईं थी , इसके सम्बंध में किसी प्रकार का अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण अनुचित प्रतीत होने वाली इस दर की प्रामाणिकता की पुष्टि नही की जा सकी। एच .पी.एस.आर.-2009, के अध्याय-5, आइटम कोड 0504एल व 0504यु तथा अध्याय-6, आइटम कोड 604000000 में सीमेंट के लोडिंग व अनलोडिंग तथा गाड़ी भाड़े हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार कंडाघाट से सायरी (दूरी लगभग 40 किलोमीटर) तक के अधिकतम किराये का निर्धारण ₹29 व ₹36 प्रति किलोमीटर निम्न प्रकार से किया जा सकता है:-

कण्डाघाट से सायरी की दूरी (कि.मी. में)	पांच कि.मी. तक (प्रति टन)	5-10 कि.मी. तक (रू.9.10 /प्रति कि.मी.)	10-20कि.मी. तक (रू.7.50/ प्रति कि.मी.)	20 से अधिक कि.मी. पर (रू.6.20/ प्रति कि.मी.)	एच.पी.एस.आर. के अनुसार 40कि.मी. तक (प्रतिटन)	एच.पी.एस.आर. के अनुसार लोडिंग व अनलोडिंग चार्जिस (प्रति बैग)	कार्य की तिथि तक कुल दर (प्रतिटन)

40 कि.मी. लगभग	115.90	5X9.10=45.50	10X7.50=75	20X6.20=124	360.40	1.85 (0.90+0.95)	362.25
प्रति बैग (50 किलोग्राम) दर :- 362.25 + 235.46(65% लेबर एनहांसमैंट) = 597.71/20 = 29.89/- **प्रति बैग (50 किलोग्राम) दर :- 362.25 + 362.25(100% लेबर एनहांसमैंट) =724.5/20 = 36.22/-** **नोट :- लेबर एनहांसमैंट माप पुस्तिका/कार्य के अनुसार लिया गई है।**							

इस प्रकार ₹17/- (46 - 29) व 10/- (46-36) प्रतिबैग अधिक आदायगी के कारण ₹14575/- का निम्न विवरणानुसार अधिक भुगतान किया गया है। अत : अधिक दर पर गाड़ी भाड़े की अदायगी बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अनुचित भुगतान की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि में जमा किया जाये :-

दिनांक	रोकड़ बही पृ.	वाउचर संख्या	फर्म का नाम	सीमेंट बैगों की संख्या	भुगतान की गई राशि	उपरोक्त विवरणानुसार अपेक्षित भुगतान	अधिक भुगतान
24-03-2015	44	-	मै. सुनील गुडस कैरियर	200	9200	7200	2000
-	61	32	जय मनसा माता इंट्रप्राईजस	190	8740	6840	1900
05-10-2015	97	111	मै. सुनील गुडस कैरियर	275	12650	7975 (₹29 प्रति बैग)	4675
30-09-2016	145	34	मै. सुनील गुडस कैरियर	200	9200	7200	2000
17-01-2017	158	-	यथोपरि	400	18400	14400	4000
कुल अधिक व्यय :-							**14575**

24 दुकान किराये के एवज में ₹1.03 लाख की वसूली न करना

जांच में पाया गया कि ₹103107 अंकेक्षणावधि तक दुकान किराये के रूप में प्राप्त नहीं की गई थी। अत : निम्न विवरणानुसार प्राप्य राशि को सम्बंधित किरायेदारों से यथाशीघ्र वसूल करके पंचायत के निधि खाते जमा करना सुनिश्चित किया जाये या किराए को वसूल न किए जाने का औचित्य सपष्ट किया जाये। :-

क्रम संख्या	किरायेदार का नाम	ऐकत्रिकरण रजिस्टर पृष्ठ संख्या	मासिक किराया	अवधि	प्राप्ति योग्य राशि
1	हरिन्दर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह	-	1850	09/13 से 03/17 (दिनांक 27-08-2013 के प्रस्ताव संख्या 04 व निलामी रजिस्टर पृष्ठ 11 से 13 पर दर्ज नोट के आधार पर दुकान का आबंटन किया गया परंतु किसी प्रकार की संविदा को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया)	79550/-
2	राम प्रकाश पुत्र श्री हेत राम (रेहड़ी)	27	100	14/09/08 से 03/17	10250/-
3	पवन पुत्र श्री दया राम	42	100	04/12 से 03/17	6000

4	हेमराज पुत्र श्री रमेश धवन	46	405	09/2016	405
5	सतीश पुत्र श्री रमेश चन्द	48	2505	09/2016	2505
6	प्रधान वरिष्ठ नागरिक सभा	48-ए	389	01/17 से 03/17	1167
7	राजु पुत्र श्री मस्त राम	49	490	03/2017	490
8	पवन पुत्र श्री रमेश चन्द	50	410	09/2016	410
9	राकेश भारद्वाज	51	490	02/17 से 03/17	980
10	शिव राम	54	300	02/17 से 03/17	600
11	सतीश (जनवरी,2017 से रेहड़ी)	-	250	01/17 से 03/17	750
कुल :-					**103107**

25 ₹983 वापिस पंचायत निधि में जमा न करना :-

जांच में पाया गया कि दिनांक 27-09-2016 को ₹10000 का भुगतान उप प्रधान सायरी को जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के खाता संख्या 102034022000027 से चैक संख्या 959283 के द्वारा क्षतिग्रस्त भवन चंदोली से सम्बंधित विभिन्न खर्चों के भुगतान हेतु किया गया परंतु सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ 144 पर दर्ज प्रविष्टि के अनुसार उक्त राशि में से मात्र ₹9017 का ही व्यय किया गया तथा शेष ₹983/- की अव्ययित राशि को वापिस पंचायत निधि में जमा नहीं किया गया , जिससे उक्त राशि के दुरुपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अत: राशि वापिस जमा न करने का औचित्य सपष्ट किया जाये या फिर अव्ययित राशि की वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत निधि खाते में जमा किया जाये।

26 विविध अनियमितताएः—

26.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि0प्र0 पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा समिति तो बनाई जा रही है पर समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर किसी भी कार्य पर नहीं करवाए जा रहे हैं।

26.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्री कर, लेबर सैस तथा रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।

27 लघु आपति विवरणिका :— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

28 **निष्कर्ष :** लेखों में सुधार की आवश्यकता है एवं नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख एवं सभी निधियों की रोकड़ वही को तैयार करना सुनिश्चित करें एवं उक्त पैरों में वर्णित अनियमिताओं व राशि के संभावित दुरुपयोग बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इनकी वसूली उचित स्त्रौत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(iv)8/2017–खण्ड–1–6405–6408 दिनाँक,24.10.17
शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1 सचिव, ग्राम पंचायत सायरी, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कण्डाघाट तहसील कण्डाघाट जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता/–
(राकेश कालरा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881